(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/3330 विरूद्ध आदेश दि.23-3-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 142/अपील/15-16

1-रामरती बाई पत्नि स्व0श्री रामाधार
2-सूरज आत्मज स्व0श्री रामाधार
3-कुमारी नीलू पुत्री स्व0श्री रामाधार
तीनों निवासी ग्राम पांडूखेडी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

.....आवेदकगण

विरूद्ध

विस्सूलाल आ0 गुरूदू
निवासी ग्राम पांडूखेडी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री मोहनसिंह चौधरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिलीपसिंह चौरे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पांडूखेडीस्थित भूमि सर्वे नम्बर 142 रकबा 0.324 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के मामा दासन आ0 सुमेरा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो उसे वारिसान हक में प्राप्त हुई थी । आवेदकगण अनावेदक की भूमि पर दिनांक 3-

5-96 को अपने नाम नामान्तरण करवा लिया है जिसका प्रमाणीकरण दिनांक 4-6-96 को किया गया है जिसकी जानकारी अनावेदक को नहीं थी । नामान्तरण की जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16-12-15 को आदेश पारित कर अवधि बाह्य होने से अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार की गई अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है क्योंकि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के संशोधन क्रमांक 26 को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में चुनौती दी थी जबकि अनावेदक तहसील न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नहीं था । अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने के पूर्व अपील प्रस्तुत करनेकी अनुमति लेना चाहिये थी जो अनावेदक द्वारा नहीं ली गई है। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वाराअधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्य बढ जाने के कारण कपोल कल्पित आधारों पर अपीलप्र स्तुत की है जबकि अनावेदक वर्ष 1996 से इस बात की जानकारी रही है कि रामाधार वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज हो कृषि कार्य करता चला आ रहा है और उसके पश्चात उसके वारिसान संपत्ति पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त को यह देखना था कि सुमेरा की मृत्यु के उपरांत खानदानी कृषि भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा6 के अनुसार पुत्री को खानदानी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं थे तब ऐसे में अनावेदक को वादग्रस्त संपत्ति में किसी प्रकार का कोई स्वत्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अनावेदक पर अपील प्रस्तुती के पूर्व अनुमति नहीं लिये जाने का आक्षेप लगाया गया है जिसके

संबंध में तर्कहै कि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार है तथा आवेदक द्वारा दोनों न्यायालयों में चुनौती नहीं दी गई है तथा इस स्तर पर नया तथ्य मान्य किये जाने योग्य नहीं है। लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक ने अपील याचिका में रामाधार के समस्त वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाने की बात कही है जबकि आवेदकगण दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों में पक्षकार होकर अपील की सुनवाई में भाग लेते रहे हैं तथा उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों में इस तथ्य को नहीं उठाया है जिसे इस स्तर पर मान्य नहीं किया जा सकता है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपील याचिका निराधार आधारों पर बगैर किसी पर्याप्त कारण के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो समयावधि से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी याचिका है जिसका मात्र विधिक आधारों पर निराकरण किया जाना है ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा इस निगरानी में उठाये गये नये तथ्यों मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अंत में उनके द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का मूल भूमिस्वामी मंदबुद्धि था, ऐसे में उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं रह जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारानामान्तरण पंजी पर भी आदेश पारित करने में सभी विधिक वारिसान एवं उनके संरक्षक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि बिना वैध अन्तरण दस्तावेज के अवैध रूप से प्रश्नाधीन भूमिपर आवेदक का नाम दर्ज हुआ है जो प्रथमदृष्टया ही अवैध कार्यवाही है इसलिये ऐसे में समयावधि की बाधा नहीं आती है । इसी आशय के निष्कर्ष अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये है जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-3-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर